यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी **त्रुटिपूर्ण** अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी के माह 01/2017 से 12/2017 तक के लेखा– अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 18.01.2018 से 31.01.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार एवं श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 23.01.2017 से 31.01.2017 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2013 से 12/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 12/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा जनपद में स्थापित चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद पौडी है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	386.23	306.55	1378.10	1355.00	–	79.68	–	23.10
2016–17	–	–	408.02	345.00	1232.54	1225.79	'–	63.02	–	6.75
2017–18 (12/2017 तक)	–	–	337.77	304.47	42.90	8.88	–	33.30	–	34.02

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015–16	एन0एच0एम0, आई0डी0एस0पी0, एन0एल0ई0पी0, एन0टी0सी0पी0 इत्यादि	824.86	1501.86	1435.67	–	891.05
2016–17		891.05	2275.39	1835.18	–	1331.26
2017–18 (12/2017 तक)		1331.26	22.92	628.00	–	726.18

(iii) इकाई को बजट आबंटन महानिदेशक के स्तर से तथा जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

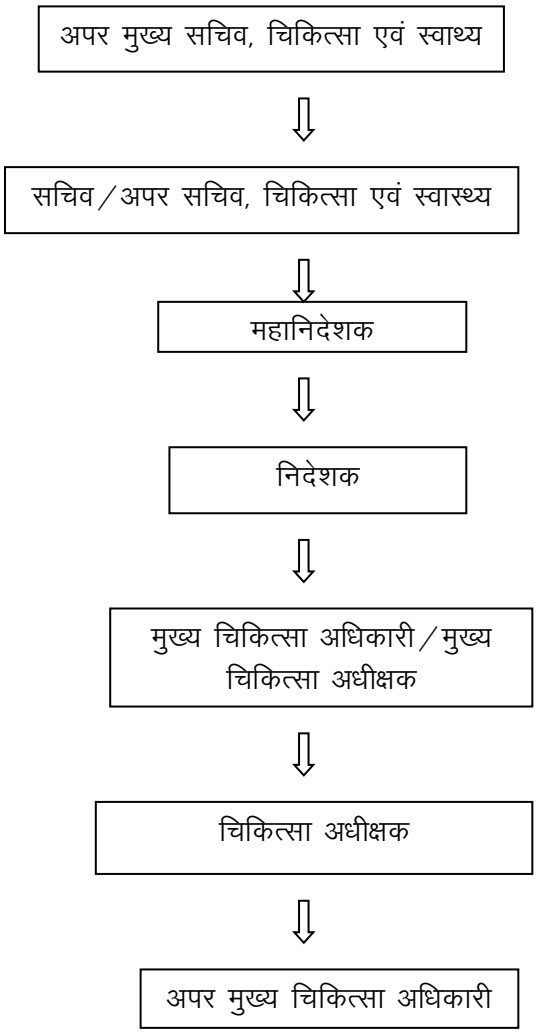

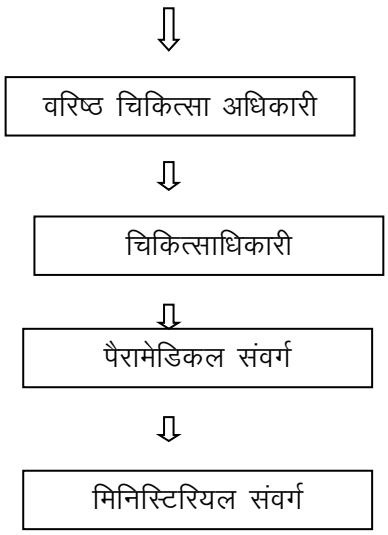

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 50.28 लाख की शासकीय हानि।

शासनादेश संख्या 100/XXVIII-4-205-58/2014TC के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारम्भ दिनॉक 26 जनवरी 2015 से हुआ। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सालयों, एम0डी0आई0 इंडिया हैल्थ केयर (थर्ड पार्टी प्रशासक) एवं बीमा कम्पनियों (i) यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई तथा (ii) बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना के मध्य बीमित स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु समझौता ज्ञापन[1] किया गया। समझौता ज्ञापन के अनुसारः

1. यदि निर्धारित समयावधि में बीमा कंपनी द्वारा कोई उचित प्री–अथोराईजेशन आपत्ति नहीं की जाती है तो उसके बाद बीमा आच्छादित समयावधि के अन्तर्गत किए गये दावे के सापेक्ष कंपनी द्वारा बीमा की पूर्ण राशि देय होगी।
2. दस दिन से तीस के अन्दर प्राप्त सभी दावों का भुगतान करना होगा।
3. यदि उचित आपत्ति के आधार पर बीमा कंपनी के द्वारा 15 दिन के अन्दर दावों को अस्वीकार नहीं किया गया है तो उस दावे का अनिवार्य रुप से भुगतान करना होगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एम0एस0बी0वाई0) से सम्बन्धित एकीकृत एम0आई0एस0 का आंकडों की जॉच में पाया गया कि यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड ने 01.04.2015 से 31.07.2016 के मध्य 1406 दावे रु0 77.81 लाख के सापेक्ष 665 दावे की राशि रु0 34.03 लाख की प्रतिपूर्ति की और 741 दावे धनराशि रु0 41.51 लाख अस्वीकृत किए गये। इसी प्रकार, बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना द्वारा बीमा आच्छादित अवधि 01.08.2016 से 31.07.2017 के दौरान 837 दावों की धनराशि रु0 72.82 लाख के सापेक्ष 447 दावे धनराशि रु0 23.54 लाख की प्रतिपूर्ति की और 69 दावे धनराशि रु0 6.76 लाख अस्वीकृत किए गये। बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना द्वारा चिकित्सा कार्यालयों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने का समझौता केवल एक वर्ष के लिए था जो कि दिनॉक 31.07.2017 को समाप्त हो चुका है। इसके बाद दिनॉक 01.08.2017 से 09. 11.2017 के दौरान 167 दावों धनराशि रु0 12.73 लाख के सापेक्ष मात्र 03 दावे धनराशि रु0 12,400 की प्रतिपूर्ति की गयी और 25 दावे धनराशि रु0 2.01 लाख अस्वीकृत किए गये।

[1] यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई (01.04.2015 से 31.07.2016) एवं बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना (01.08.2016 से वर्तमान तक)।

जनपद के चिकित्सालयों द्वारा बीमा कम्पनियों को प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावों, उसके सापेक्ष भुगतानित दावों एवं अस्वीकृत दावों का विवरण निम्नवत् हैः–

बीमा कम्पनी	योजना का नाम	समझौता अवधि की तिथि	कुल प्रस्तुत दावे		भुगतानित दावे		अस्वीकृत दावे	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई	एम0एस0बी0वाई0	01.04.2015 से 31.07.2016 तक	1406	7781215	665	3403067	741[2]	4151140
बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना	एम0एस0बी0वाई0	01.08.2016 से 31.07.2017	837	7281707	447	2354774	69	676100
		01.08.2017 से 09.11.2017	167	1272958	03	12400	25	201000 (632320)[3]
	योगः–		**2,410**	**163,35,880.00**	**1,115**	**57,70,241.00**	**835**	**50,28,240.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि में प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा प्रपत्रों को अपलोड न किए जाने के कारण बीमा कम्पनी द्वारा दावे निरस्त किए गये। इसप्रकार, चिकित्सालय द्वारा 835 दावों को निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत न करने एवं बीमा कम्पनी द्वारा इन्हें अस्वीकार/निरस्त किए जाने के परिणामस्वरुप राज्य सरकार को रु0 50.28 लाख की शुद्ध हानि हुई।

अतः मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 50.28 लाख के शासकीय हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

[2] 295 ऑफलाईन दावे रु0 14.54 लाख यूनाइटेड इंडिया इन्सोरेंश कंपनी लिमिटेड, चैन्नई द्वारा 01.04.2015 से 31.07.2016 के बीच सीधे तौर पर अस्वीकृत कर दिए गये थे।

[3] बीमा कंपनी की सेवा दिनॉक 31.07.2017 को समाप्त हो जाने के कारण प्री–अथोराईजेशन रु0 6.32 लाख (6.45 – 0.12) प्राप्त नहीं की जा सकी।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 रु0 561.45 लाख व्यय किए जाने के बावजूद भी 2,24,502 बच्चों एवं छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा बच्चों/किशोर–किशोरियों की स्वास्थ्य जॉच एवं उपचार को दृष्टिगत रखते हुए फरवरी 2013 से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम के अनुसार नवजात से लेकर 18 वर्ष तक की आयुवर्ग के बच्चों की निःशुल्क स्वास्थ्य जॉच एवं उपचार का प्राविधान किया गया है। कार्यक्रम के दिशा–निर्देशानुसार लक्षित समूह की स्वास्थ्य जॉच का कार्य (i) नवजात से लेकर 6 सप्ताह तक के बच्चों की स्वास्थ्य जॉच एवं उनमें बीमारियों की पहचान प्रत्येक सरकारी प्रसव केन्द्र पर कार्यरत स्टाफ के द्वारा तथा आशा कार्यकत्री के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में घर–घर भ्रमण कर, (ii) 6 सप्ताह से 6 वर्ष तक के बच्चों का वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान का कार्य ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों का भ्रमण कर तथा (iii) 6 से 18 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों जो सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान का कार्य ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा विद्यालयों में भ्रमण कर किया जाना था।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आएः–

1. स्वास्थ्य टीमों द्वारा जनपद पौडी में स्थित समस्त आंगनवाडी केन्द्रों एवं स्कूलों में पूर्ण भ्रमण नहीं किया गया जिसके कारण प्रत्येक वर्ष आंगनबाडी के 1,73,066 बच्चों (2014–15ः 65681, 2015–16ः 77336 एवं 2016–17ः 30049) एवं विद्यालयों के 51,436 छात्र–छात्राओं (2014–15ः 15707, 2015–16 : 18487 एवं 2016–17ः 17242) का स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान ही नहीं की गयी। जबकि उक्त तीनों वर्षों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 561.45 लाख (वर्ष 2014–15 : रु0 174.67 लाख वर्ष 2015–16 : रु0 197.80 लाख एवं वर्ष 2016–17ः रु0 188.98 लाख) व्यय किया गया। विगत तीन वर्षों के भ्रमण एवं स्वास्थ्य परीक्षण का विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका–1 (स्वास्थ्य टीमों द्वारा भ्रमण)

वर्ष	जनपद में स्थित		भ्रमण हेतु लक्ष्य		भ्रमण किए		अवशेष भ्रमण	
	आंगनबाडी	स्कूल	आंगनबाडी (वर्ष में 2 बार भ्रमण करने के कारण वास्तविक लक्ष्य दुगना है।	स्कूल	आंगनबाडी	स्कूल	आंगनबाडी	स्कूल
2014–15	1774	2305	3548	2305	3163	2292	385	13
2015–16	1778	2334	3556	2334	3362	2191	194	143
2016–17	1785	2264	3570	2264	3466	2249	104	15

तालिका–2 (स्वास्थ्य टीमों द्वारा स्वास्थ्य जॉच)

वर्ष	जनपद में स्थित बच्चे		स्वास्थ्य परीक्षण हेतु लक्ष्य		किया गया स्वास्थ्य परीक्षण		अवशेष	
	आंगनबाडी	स्कूल	आंगनबाडी	स्कूल	आंगनबाडी	स्कूल	आंगनबाडी	स्कूल
2014–15	48786	103692	97572	103692	31891	87985	65681	15707
2015–16	56096	101116	112192	101116	34856	82629	77336	18487
2016–17	43819	103399	87638	103399	57589	86157	30049	17242

2. वर्ष 2014–15 से 2016–17 में स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान से छूट गये आंगनबाडी के 1,73,066 बच्चों एवं विद्यालयों के 51,436 छात्र–छात्राओं की सूची न तो कार्यालय के पास उपलब्ध थी एवं न ही ऐसा कोई अभिलेख मौजूद था जो यह पुष्टि करें कि अगले वर्ष प्राथमिकता के आधार पर इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया कि नहीं। यहॉ तक कि स्वास्थ्य टीमों द्वारा शत–प्रतिशत आंगनबाडी एवं स्कूलों में भी भ्रमण नहीं किया।

इस प्रकार, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 561.45 लाख ब्यय किए जाने के बावजूद भी ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा कार्यक्रम के अनुसार नियमित भ्रमण नहीं किया गया, जिसके कारण योजना के शत–प्रतिशत उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि एन0एच0एम0 में संविदा कर्मियों की कमी, वर्षाकाल, वनाग्नि एवं दुर्गम क्षेत्र के कारण लक्ष्य पूर्ण करना सम्भव नहीं हो पाया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रु0 561.45 लाख ब्यय किए जाने के बावजूद भी विगत तीन वर्षों में 2,24,502 बच्चों एवं छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण न हो पाना कहीं–न–कहीं विभाग की विफलता है।

अतः रु0 561.45 लाख ब्यय किए जाने के बावजूद भी 2,24,502 बच्चों एवं छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 रु0 45.20 लाख की धनराशि का उपयोग न किए जाने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से बंचित रहना।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से सम्बन्धित बजट पत्रावलियों की समीक्षा जॉच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आएः–

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत तकनीकी दक्षता एवं चिकित्सा देखभाल में सुधार हेतु जनवरी 2013 में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य सेवाऐं (Reproductive Maternal, Newborn child & Adolescent Health Services) कार्यक्रम लागू किया, जिस हेतु एक कौशल प्रयोगशाला परिचालन निर्देशिका निर्गत की गई। कौशल प्रयोगशाला का उद्देश्य प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य सेवाओं के सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रमुख मानकीकृत तकनीकी कौशल और ज्ञान के सुदृढीकरण प्रदान करना, स्वास्थ्य सुविधाओं में कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पूर्व सेवा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार एवं निरन्तर नर्सिंग शिक्षा/सतत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है। इसी परिपेक्ष में उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, देहरादून द्वारा वर्ष 2014–15 के माह जनवरी 2015 में कौशल प्रयोगशाला हेतु रु0 23.00 लाख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी को अवमुक्त किए। जिसमें सिविल निर्माण, फर्नीचर, लकडी का कार्य, सुदृढीकरण, विद्युत कार्य, जलापूर्ति, पठन–पाठन सामग्री एवं कौशल प्रयोगशाला हेतु सेमीनार कक्ष, कार्यालय ढांचा सहित अन्य अधीनस्थ आवश्यकताओं का निर्माण किया जाना था। जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा धनराशि अवमुक्त के तीन वर्ष पश्चात् अर्थात वर्ष 2017–18 (01/2018) तक भी कौशल प्रयोगशाला का निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया तथा कौशल प्रयोगशाला निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि रु0 23.00 लाख विगत तीन वर्ष से कार्यालय में ही अनुपयुक्त पडी हुई है।

2. मानसिक स्वास्थ्य एवं बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल हेतु वर्ष 2016–17 में रु0 22.20 लाख (मानसिक स्वास्थ्य : रु0 6.00 लाख एवं बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल : रु0 16.20 लाख) प्राप्त हुए थे। परन्तु मानव शक्ति एवं बुनियादी ढांचे के अभाव में उक्त कार्यक्रम जनपद में संचालित नहीं हो सके।

इस प्रकार, पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी इन कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु कोई प्रयास नहीं किए गये, परिणामस्वरुप न केवल इसके मूल उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हो पाई अपितु जन समुदाय को भी इसके आगामी लाभों से भी बंचित होना पडा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि कौशल प्रयोगशाला हेतु स्थल उपलब्ध न होने के कारण उपयोग नहीं किया जा सका तथा अन्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में बताया कि जनपद में चिकित्सकों की भारी कमी एवं पर्याप्त स्थल उपलब्ध न होने के कारण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि जनपद में कार्यक्रमों हेतु स्थल एवं चिकित्सकों की कमी थी तो धनराशि को प्राप्त ही नहीं किया जाना चाहिए था।

अतः रु0 45.20 लाख की धनराशि के उपयोग न किये जाने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से बंचित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 रु0 8.84 लाख की औषधि का अधोमानक घोषित होने के बावजूद उपयोग किया जाना।

उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति शासनादेश 932/XXVIII-04-2014-28(8)/2012 दिनॉक 13.07.2015 के नियम–18 के अनुसार औषधि क्रय के एक माह के भीतर प्रत्येक औषधि के 20 प्रतिशत दवाओं के रैंडम नमूने लेकर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जॉच कराई जाएगी। नियम–19 के अनुसार प्रत्येक इस्तेमाल के लिए अयोग्य घोषित आपूर्ति की गयी औषधियों के गुणवत्ता की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। इसके अतिरिक्त नियम–21 निर्देशित करता है कि यदि आपूर्ति की गयी सामग्री अधोमानक कोटि की पाई जाती है तो जॉच में हुए व्यय को आपूर्तिकर्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस बीजक के अन्तर्गत आपूर्ति औषधि की कुल मात्रा की आपूर्ति पुनः की जानी होगी। क्रेता, आपूर्तिकर्ता फर्म के विरुद्व क्षतिपूर्ति की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। आपूर्तिकर्ता फर्म को औषधियों के अधोमानक होने पर ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया जा सकता है, जिसकी समय–सीमा 03 वर्ष होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी में औषधियों के क्रय से सम्बन्धित पत्रावली की नमूना जॉच में पाया गया कि यूनीक्योर इंडिया लिमिटेड, गौतम बुद्वनगर, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनॉक 09.09.2015 में रु0 8.84 लाख की आइरन फोलिक एसिड की 48,73,078 गोलियॉ[4] आपूर्ति की गयी। राजकीय खाद्य एवं औषधि जॉच प्रयोगशाला, रुद्रपुर ने उपरोक्त औषधि के नमूनों को अपनी रिपोर्ट दिनॉक 19.04.2016 द्वारा औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अन्तर्गत अधोमानक स्तर का घोषित किया गया। जॉच में पाया कि उपरोक्त अधोमानक औषधियों का वितरण जॉच रिपोर्ट आने से पहले ही Weekly Iron Folic Supplement कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयी बच्चों को किया जा चुका था, जो कि बहुत गम्भीर प्रकरण था जिसमें बच्चों को जीवन का खतरा समाहित था। उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति के नियम–21 के परिपालन में कार्यालय द्वारा न तो अधोमानक औषधियों के स्थान पर पुनः नई गुणवत्ता वाली औषधि प्राप्त किए जाने का प्रमाण मिला और न ही उक्त औषधि निर्माता कंपनी को डिबार किए जाने हेतु किसी पत्राचार का प्रमाण प्राप्त हो सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि जॉच रिपोर्ट में विलम्ब होने एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए औषधि वितरित की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार जॉच के पश्चात् ही इन औषधियों का उपयोग किया जाना चाहिए था।

अतः रु0 8.84 लाख की औषधि का अधोमानक घोषित होने के बावजूद उपयोग किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

[4] IFJT03:936900 TAB, IFJT03-74:872336 TAB, FFETO3-94:2042600 TAB & FFET03-104:1021240 TAB

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–5 अस्थायी कार्मिकों को शासकीय आवास आबंटन के बावजूद भी मकान किराया भत्ते की कटौती न कर रु0 27000 की शासकीय हानि।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी द्वारा आबंटित शासकीय आवासों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा 02 टाईप–1 के शासकीय आवास अस्थायी कार्मिकों को आबंटित किए गये हैं तथा कार्मिक इन आवासों में निवास भी कर रहे हैं परन्तु इन कार्मिकों से कोई भी मकान किराया भत्ता वसूल नहीं किया जा रहा है। जबकि शासकीय नियमों के अनुसार ग्रेड वेतन का न्यूनतम 40 प्रतिशत किराया वसूल किया जाना था। स्वास्थ्य केन्द्र में शासकीय कार्मिकों को आबंटित उक्त टाईप के आवासों से टाईप–1 हेतु न्यूनतम रु0 1,350 मकान किराया भत्ते के रुप में प्रतिमाह वसूला जा रहा है। यदि यही आवास शासकीय कर्मचारियों को आबंटित किए जाते तो निम्न 02 आवासों से रु0 27000 का शासकीय राजस्व प्राप्त होता। स्वास्थ्य केन्द्र में अस्थायी कार्मिकों को शासकीय आवास आबंटन हेतु न तो कोई आदेश प्राप्त हैं एवं न ही विगत चार वर्ष से निवास कर रहे अस्थायी कार्मिकों हेतु कोई किराया निर्धारण किया गया है। जिसके कारण लेखापरीक्षा में शासकीय कार्मिकों हेतु न्यूनतम दर पर वसूल की जा रही मकान किराया भत्ते की गणना की गयी है। वर्तमान में निवास कर रहे अस्थायी कार्मिकों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0	कार्मिक का नाम	पदनाम	आवास का प्रकार	निवास की तिथि	कुल माह	शासकीय कार्मिक की प्रतिमाह न्यूनतम कटौती	वसूल की जाने वाली राशि
1.	श्री मनमोहन पटवाल	कोर्डिनेटर	टाईप–1	01.06.2017 से वर्तमान तक	07	1,350	9450
2.	श्री नवीन नेगी	कम्प्यूटर सहायक	टाईप–1	01.12.2016 से वर्तमान तक	13	1,350	**17550**
योगः–							**27000**

इसके अतिरिक्त जनपद के चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में भी संविदा/ एन0एच0एम0 के अस्थायी कार्मिकों को नियमित रुप से शासकीय आवास आबंटित किए गये हैं परन्तु इन कार्मिकों से मकान किराया भत्ता नहीं वसूला जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूरे जनपद के चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों की सूचना मॉगी गयी थी परन्तु अद्यतन मात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, थलीसैंण से ही सूचना प्राप्त हो सकी जिनके अनुसार 10 अस्थायी कार्मिकों को फ्री आवास सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में तैनाती एवं आवश्यकता को देखते हुए आवास आबंटन किए गये। इसके अतिरिक्त बताया गया कि शासन द्वारा अस्थायी कार्मिकों हेतु मकान किराया भत्ते की कटौती हेतु कोई धनराशि निर्धारित न किए जाने के कारण कटौती नहीं की गयी। इस हेतु प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासकीय आवासों में निवास करने वाले प्रत्येक कार्मिकों से मकान किराया भत्ते की वसूली की जानी चाहिए थी।

अतः अस्थायी कार्मिकों को शासकीय आवास आबंटन के बावजूद भी मकान किराया भत्ते की कटौती न कर रु0 27,000 की शासकीय हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
157 / 2008–09	1, 2 एवं 3	3	–
15 / 2010–11	1, 2, 3 एवं 4	–	–
71 / 2011–12	1	1, 2, 3 एवं 4	–
119 / 2013–14	–	1 एवं 2	–
148 / 2016–17	–	1 एवं 2	–

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
157 / 2008–09	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
15 / 2010–11	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	

	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
71 / 2011–12	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	? –– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
119 / 2013–14	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
148 / 2016–17	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } 1. वृहद एवं लघु निर्माण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख
   (ii) } 2. पूर्व लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या
   (iii) 3. चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा आबंटित शासकीय आवास

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 मनीष अग्रवाल	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	01.01.2017 से 08.06.2017
2.	डा0 आर0एस0 राणा	– तदैव –	09.06.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौउी को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.